न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 00078/2019/223

1. भंवरलाल पुत्र काना,
2. रामधन पुत्र काना,
3. मानी बेवा काना,

समस्त जाति भील, निवासी साकरिया, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकडी, जिला अजमेर ।
2. बेजनाथ पुत्र छोगा, जाति बैरवा, निवासी साकरिया, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।
3. श्योजी पुत्र गोपाल, कौम बैरवा, निवासी साकरिया, तहसील केकड़ी जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 17.06.2010 अंतर्गत वाद संख्या 16/2006.

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री गजेन्द्रसिंह, वकील रेस्पो0 संख्या 2 व 3.

निर्णय

दिनांकः— 02.03.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.6.2010 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी राजस्थान सरकार/रेस्पो0 संख्या 1 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाकै ग्राम साकरिया की आराजी खसरा नंबर नया 2381 पुराना 1124 रकबा 1.72 है0 बारानी—3 वादीगण के पिता काना पुत्र भैरू, जाति भील को राजस्व कैम्प दिनांक 13.11.1975 को कैम्प खवास में आवंटित हुई तभी से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है । वर्तमान में उक्त आराजी पर वादीगण काबिज काश्त है । वादीगण के पिता द्वारा कई बार राजस्व कर्मचारियों से लिखित व मौखिक निवेदन किया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं किया गया । वर्तमान में उक्त आराजी सिवायचक दर्ज है । अतः वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद

करते हुए इंद्राज दुरूस्त किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17.6.2010 द्वारा वादी/अपीलांटस का वाद खारिज किया। अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विरूद्ध न्याय, नियम एवं रिकार्ड के होने से काबिल निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजियात साबिक खसरा नंबर 1124 रकबा 1.72 है0 हाल खसरा नंबर 2381 रकबा 1.7200 है0 वाके ग्राम साकरिया, तहसील केकड़ी में स्थित है । उपरोक्त आराजियात वादगण/अपीलांटस के पिता काना पुत्र भैरू जाति भील को राजस्व कैम्प दिनांक 13.11.1975 कैम्प खवास में आवंटित हुई थी तभी से उपरोक्त उपरोजियात पर पूर्व में वादीगण के पिता काना तत्पश्चात् अपीलांटस बहैसियत खातेदार काबिज चले आ रहे है । वादीगण के पूर्वज काना द्वारा कई बार राजस्व अधिकारियों से उक्त आवंटन आदेश के आधार पर राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु निवेदन किया किन्तु आज दिनांक तक आवंटन आदेश की पालना नहीं की गई है । इस कारण वर्तमान अभिलेख में विवादित आराजियात सिवायचक दर्ज है । विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के विचाराधीन रहते रेस्पो0 संख्या 2 जिसका विवादित आराजियात से किसी प्रकार का सरोकार नहीं है, के द्वारा तहसीलदार, केकड़ी के समक्ष खसरा संख्या 2381 रकबा 1.72 है0 में से 6 बीघा भूमि स्वंय के पक्ष में आवंटन होना वर्णित करते हुए दिनांक 9.4.2008 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । उक्त प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गई जिस पर पटवारी हल्का द्वारा खसरा संख्या 2381 रकबा 1.72 है0 में से 0.96 है0 पर रेस्पो0 संख्या 2 छोगा वल्द गीला को आवंटन होना वर्णित करते हुए दिनांक 10.4.2008 को रिपोर्ट पेश की है । उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 2.5.2008 को खसरा संख्या 2381 रकबा 0.94 है0 भूमि आवंटी छोगा पुत्र गीला के नाम गैर खातेदारी का नामांतकरण दर्ज करने के आदेश पारित किए गए है जिसके आधार पर नामांतकरण संख्या 747 दिनांक 2.5.2008 को भरकर प्रस्तुत किया गया एवं अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के न्यायालय में विचाराधीन होने बाबत् भी अंकन किया गया है इसके पश्चात् अधी0न्याया0 के न्यायालय मे वाद का निर्णय होने से नामांतकरण को डिक्री की पालना में दिनांक 22.7.2010 को स्वीकृत करने के आदेश दिए गए है एवं उक्त नामांतकरण के स्वीकृति के पश्चात् रेस्पो0 संख्या 3 के पक्ष में रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा उक्त आराजी का विक्रय पत्र निष्पादित किये जाने से नामांतकरण दिनांक 7.6.2016 को स्वीकृत किया गया है । अतः रेस्पो0 संख्या 2 व 3 के वाद के विचाराधीन रहते राजस्व अभिलेख में स्वंय के नाम अंकन कराये जाने के आधार पर पक्षकार सम्मिलित किया गया है जिनका वादग्रस्त आराजियात से किसी प्रकार का सरोकार नहीं है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में वादीगण द्वारा कब्जा की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने तथा आवंटित भूमि का कब्जा अपीलांट का नहीं होना उल्लेख कर वाद निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । वादग्रस्त आराजी बाबत् अधी0न्याया0 द्वारा मौके की रिपोर्ट तलब की गई है जिसमें अपीलांट का कब्जा वादग्रस्त आराजियात पर होने बाबत् अंकन किया गया है । उक्त मौका रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद अधी0न्रयाया0 ने आराजी पर कब्जा अपीलांट का नहीं होने का उल्लेख कर वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । वादग्रस्त आराजी अपीलांट के पूर्वज को आवंटित की गई है जिस बाबत् राजस्व रिकार्ड में

अंकन नहीं होने से सिवायचक दर्ज रही एवं इसके उपरांत रेस्पो0 संख्या 2 अजनबी व्यक्ति के पक्ष में बिना आवंटन नियमन आदेश के गैर खातेदारी में अंकन किए जाने के आदेश पारित किए गए है जो विधिविरूद्ध है । रेस्पो0 संख्या 2 व 3 द्वारा फर्जकारी कर स्वंय के पक्ष में आवंटन आदेश दिनांक 13.11.1975 को होना बताते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया था । उक्त प्रार्थना पत्र पर बिना किसी जांच के रेस्पो0 संख्या 1 के नाम गैर खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । विवादित आराजियात के मौके पर अपीलांटस गत् 45 वर्षो से कब्जे काश्त में है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया है जिसके बाबत् प्रार्थीगण को कोई सूचना नहीं दी गई । प्रार्थीगण गरीब मजदूर व्यक्ति है जो खाने कमाने के लिए गांव से बाहर गए हुए थे । हाल ही में दिनांक 28.2.2019 को रेस्पो0 संख्या 3 द्वारा मौके पर लड़ाई–झगडा करने तथा स्वंय के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा आराजियात को क्रय करने बाबत् अवगत कराये जाने पर अधिवक्ता से प्रकरण में की जाने वाली कार्यवाही बाबत् जानकारी हेतु दिनांक 28.2. 2019 को संपर्क किया जिस पर उसके अधिवक्ता ने निर्णय दिनांक 17.6. 2010 को होने बाबत् अवगत कराया व निर्णय की प्रति प्रदान की । तत्पश्चात् अपीलांटस ने कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है। अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है जिस पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से वाद खारिज किया है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 व 3 ने बहस में कथन किया कि अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.6.2010 के विरूद्ध दिनांक 8.3.2019 को हस्तगत अपील पेश की है जो लगभग 9 वर्षो के भारी विलंब से पेश की है । प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे ठोस एवं संतोषप्रद नहीं है । अतः अपील भारी मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दु पर ही निरस्त की जावे ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 व 3 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है। रेस्पो0 संख्या 2 को खसरा संख्या 2381 रकबा 1.72 है0 में से 6 बीघा भूमि आवंटित हुई थी जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं होने से उसके द्वारा तहसीलदार, केकड़ी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। उक्त प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गई जिस पर पटवारी हल्का द्वारा खसरा संख्या 2381 रकबा 1.72 है0 में से 0.96 है0 पर रेस्पो0 संख्या 2 छोगा वल्द गीला को आवंटन होना वर्णित करते हुए दिनांक 10.4.2008 को रिपोर्ट पेश की है । उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 2.5.2008 को खसरा संख्या 2381 रकबा 0.94 है0 भूमि आवंटी छोगा पुत्र गीला के नाम गैर खातेदारी का नामांतकरण दर्ज करने के आदेश पारित किए गए है जिसके आधार पर नामांतकरण

संख्या 747 दिनांक 2.5.2008 को भरकर प्रस्तुत किया गया एवं अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के न्यायालय में विचाराधीन होने बाबत् भी अंकन किया गया है इसके पश्चात् अधी0न्याया0 के न्यायालय मे वाद का निर्णय होने से नामांतकरण को डिक्री की पालना में दिनांक 22.7.2010 को स्वीकृत करने के आदेश दिए गए है एवं उक्त नामांतकरण के स्वीकृति के पश्चात् रेस्पो0 संख्या 3 के पक्ष में रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा उक्त आराजी का विक्रय पत्र निष्पादित किये जाने से नामांतकरण दिनांक 7.6.2016 को स्वीकृत किया गया है । वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी रेस्पो0 संख्या 3 के नाम दर्ज है जिससे अपीलांट का कोई संबंध नहीं है न ही कब्जा काश्त है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में डी0एन0जे0 1999 राज0 पेज 134, डी0एन0जे0 राज0 199 पेज 397, आर0आर0डी0 2002 पेज 26 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

9. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । विद्वान वकील अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम अपीलांटस को प्रकरण के गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

10. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 2381 पुराना 1124 रकबा 1.72 है0 बाबत् वाद पेश कर कथन किया है कि विवादित आराजी वादीगण के पिता काना पुत्र भैरू, जाति भील को राजस्व कैम्प में दिनांक 13.11.1975 को कैम्प खवास में आवंटन हुई थी तब से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में उक्त आवंटन आदेश का अमल दरामद नहीं किया गया है जिससे राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजियात सिवायचक दर्ज रही है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण/अपीलांटस द्वारा विवादित आराजियात आवंटित होने के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य अवश्य पेश किया है किन्तु आवंटन के पश्चात् आवंटी को विवादित आराजियात का कब्जा संभलाये जाने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया एव ना ही विवादित आराजियात पर कब्जा काश्त होने के संबंध में खसरा गिरदावरियां, धारा 91 एल0आर0एक्ट के नोटिस आदि दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है। अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्यों से विवादित आराजी पर कब्जा काश्त प्रमाणित करने में पूर्णतया असफल रहे है । वर्तमान में विवादित आराजी रेस्पो0 संख्या 2 को आवंटन होने के आधार पर रेस्पो0 के पक्ष में नामांतकरण संख्या 747 खोला गया था किन्तु वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन होने का नोट अंकित किये जाने से अधी0न्याया0 द्वारा वाद खारिज किये जाने के उपरांत दिनांक 27.7.2010 को स्वीकृत किया जाकर रेस्पो0 संख्या 2 के नाम विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में अंकित की गई तत्पश्चात् रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा रेस्पो0 संख्या 3 को विवादित आराजी का जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बेचान किये जाने पर विक्रय पत्र के अनुसरण में नामांतकरण दिनांक 7.6.2016 को स्वीकृत किया गया है । उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर वादीगण/अपीलांटस का कब्जा काश्त साबित नहीं होने से अधी0न्याया0 ने वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपील अपीलांटस खारिज

योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

11. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.6.2010 यथावत् रखा जाता है ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक02.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर